नगर पंचायत सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2013 से 31.3.2015

भाग–एक

1 **(क) प्रारम्भिक**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः 1–376/81–फिन(एल0ए0)खण्ड–पार्ट, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, नगर पंचायत सुन्नी, जिला शिमला के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य किया गया।

वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान नगर परिषद सुन्नी में नियन्त्रक अधिकारी, आहरण एवं संवितरण अधिकारी के रूप में निम्न प्रधान एवं सचिव कार्यरत रहे

अवधि	अध्यक्ष का नाम	सचिव/आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम
1.4.2013 से 22.7.2013	श्रीमति सुनीता देवी	श्री संत राम शर्मा, तहसीलदार
23.7.2013 से 28.2.2014	श्रीमति सुनीता देवी	श्री बुद्धि सिंह कंवर, तहसीलदार
1.3.2014 से 14.8.2014	श्रीमति सुनीता देवी	श्री मनीष चौधरी, तहसीलदार
15.8.2014 से 31.3.2015	श्रीमति सुनीता देवी	श्री संत राम शर्मा, तहसीलदार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

क्र0 सं0	अनियमितता का संक्षिप्त सार	पैरा सं0	राशि लाखों में
1	बैंक द्वारा सावधि जमा की परिपक्वता पर कम ब्याज देना	5 (ख)	0.32
2	अनुदान की राशि का व्यय/उपयोग हेतु शेष पाया जाना	6 (क)	61.37
3	अनुदान में से वेतन व मजदूरी पर निर्धारित मापदण्डों से अधिक व्यय करना	6 (ख)	28.52
4	अनुदान उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित संस्थाओं को प्रेषित न करना	6(घ)	64.46
5	गृह कर की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	9(क)	45.30
6	सरकार के निर्देशानुसार गृह कर की दर में वृद्धि न करने के कारण वित्तीय हानि	9 (ग)	12.59
7	दुकानों के देय किराए की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	10(क)	3.02
8	दुकानों के देय किराए में वृद्धि न करने के कारण वित्तीय हानि	10(ख)	0.56
9	मोबाइल टॉवर शुल्क की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	12	1.39
10	खाली पदों के लिए पेंशन/ग्रेच्युटी अंशदान नगर पंचायत निधि से पेंशन व उपदान निधि में जमा करने सम्बन्धी अनियमितता	14	2.29
11	ठेकेदारों के निर्माण कार्यों के बिलों से काटे गए श्रमकर व रौयलिटी की राशि को सम्बन्धित विभाग में जमा न करना	16	0.85
12	नियमानुसार विहित क्रय प्रक्रिया न अपनाकर निर्माण कार्य की सामग्री क्रय करना	21	1.85

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "क"** पर दर्शाई गई है। प्रायः यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर नगर पंचायत द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है, जोकि अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः नगर पंचायत द्वारा इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्रवाई करनी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से यथा समय इस विभाग को अवगत करवाया जाए, ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

नगर पंचायत सुन्नी के अवधि 4/2013 से 3/2015 के लेखाओं तक का वर्तमान अंकेक्षण श्री हेम राज भारद्वाज, सहायक नियंत्रक व श्री चेत राम, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 1.3.2016 से 23.3.2016 तक नगर पंचायत सुन्नी स्थित कार्यालय में किया गया। विस्तृत जांच हेतु आय के लिए माह 3/14 व 3/15 तथा व्यय के लिए 2/14 व 10/14 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन नगर पंचायत कार्यालय सुन्नी द्वारा उपलब्ध करवाए गए अभिलेख व सूचनाओं पर आधारित है। अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के गलत होने, अपूर्ण होने अथवा उपलबध ही न होने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किभी भी प्रकार के प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

अवधि 4/2013 से 3/2015 तक के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण करने का शुल्क शुल्क ₹30000 आंका गया, जिसे रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा अदा करने हेतु सचिव नगर पंचायत सुन्नी से अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 108/2016, दिनांक 21.3.2016 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रति उत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि अंकेक्षण शुल्क की ₹30000 हि0 प्र0 राज्य सहकारी बैंक सुन्नी के डिमांड ड्राफ्ट संख्याः AA 337290, दिनांक 22.3.2016 के माध्यम से पंजीकृत पत्र संख्याः NP Sunni/2015,–1334, दिनांक 22.3.2016 द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–9 को भेज दी गई है।

4 वित्तीय स्थिति

(क) नगर पंचायत सुन्नी के द्वारा प्रस्तुत अवधि 4/2013 से 3/2015 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विवरण **परिशिष्ट "ख"** पर भी दिया गया है।

वित्तीय वर्ष	लेखा शीर्ष	आरम्भिक शेष	आय/प्राप्तियां	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	स्वतः स्त्रोत	4429129.67	1004488	5433617.67	1825011.00	3608606.67
	अनुदान	2661826.00	2678983	5340809.00	3990266.00	1350543.00
	कुल जोड़	**7090955.67**	**3683471**	**10774426.67**	**5815277.00**	**4959149.67**
2014–15	स्वतः स्त्रोत	3608606.67	1844398	5453004.67	474211.22	4978793.45
	अनुदान	1350543.00	10380532	11731075.00	5594010.00	6137065.00
	कुल जोड़	**4959149.67**	**12224930**	**17184079.67**	**6068221.22**	**11115858.45**

(ख) दिनांक 31.3.2015 को हस्तगत रोकड़/सावधिक जमा/बैंक खातों के अनुसार शेष निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "ख"** में दिया गया है।

1	Cash/Cheques in hand	16000.00
2	TDRs in Bank	8000000.00
3	SBI Saving A/C No. 33371887506	577915.00
4	PNB Saving A/C No. 0869000100052441	19627.15
5	HP State Co-Op Bank Saving A/C No. 44110105731	2502255.30
	Total	**11115797.45**
	दिनांक 31.3.2015 को वित्तीय स्थिति/रोकड़ वही के अनुसार शेष	**11115858.45**
	दिनांक 31.3.2015 को वित्तीय स्थिति एवं बैंक खातों में दर्शाए गए शेषों में अन्तर (11115858.45–11115797.45)	61.00

(ग) बैंक समाधान विवरणी

Particulars	**Amount**
Closing Balance as per cash Book/Financial Position as on 31.3.2015	11115858.45
Add:- HPSCB Cheque no. 085955. Dated 2.3.2015 issued but presented for payment after 31.3.2015 i.e. on 2.6.2015	1000.00
Less:- Amount of Income less deposited in the bank as per detail given below in para 4(घ)	1061.00
Closing balance in Banks & Cash in hand as per detail given above	11115797.45

(घ) नगर पंचायत निधि के बैंक खाते में ₹1061 कम जमा करना

रोकड़ वही के योग व बैंक समाधान विवरण का सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि निम्न विवरणानुसार प्राप्त आय के योग व गणना की विभिन्न त्रुटियों के कारण नगर पंचायत निधि के बैंक खाते में ₹1061 कम जमा पाई गई। अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 104, दिनांक 17.3.2016 द्वारा वर्णित त्रुटियों को नगर पंचायत के ध्यान में लाने के उपरान्त कम जमा

करवाई ₹1061 को दिनांक 18.3.2016 को नगर पंचायत निधि के हि0 प्र0 राज्य सहकारी बैंक खाता : 5731 में जमा करवा दिया गया है तथा जिसकी अंकेक्षण में सत्यापना भी कर ली गई है। अतः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में ऐसी चूक न हो उस हेतु आन्तरिक जांच प्रणाली को सुदृढ़ किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0 सं0	प्राप्त आय/बैंक का विवरण	प्राप्त राशि	जमा राशि	कम/अधिक जमा राशि	अभियुक्ति
1	Rt. 1 to 37/86 Dated 17 to 30.4.2013 (except Rt. No. 5/86)	35538	33038	(–)2500	HPSCoop A/c 5731, on dated 30.4.2013
2	Rt. No. 12 to 15/79 Dated 20.5.2015 Rt. No. 38 to 50/86 & 1 to 32/87 Dated 30.4.2013 to 30.5.2013 (except Rt. No. 6/87)	32054	32044	(–)10	HPSCoop A/c 5731, on dated 30.5.2013
3	Rt. No. 23 to 50/88 & 1 to 7/89 Dated 1.7.2013 to 24.7.2013 (except Rt. No. 6/87)	21067	21047	(–)20	HPSCoop A/c 5731, on dated 31.7.2013
4	Rt. No. 12 to 15/79 Dated 20.5.2015	1360	2720	(+)1360	Amount deposited twice in HPSCoop A/c 5731, on dated 31.5.2013 (Sr. No.2 above) & 31.7.2013 alongwith Rt. No. 12 to 48/79 Dated 16 to 27.8.2013 & Rt. No. 8 to 45/89 Dated 3 to 30.8.2013 (except Rt. No. 13 & 14/89) =₹34347
5	Rt. No. 18 & 19/58 dated 9.11.2010	75	150	(+)75	Amount deposited twice in HPSCoop A/c 5731, on dated 11.11.2010 (Sr. No.2 above) & 19.10.2010 alongwith Rt. No. 18 to 20/58 Dated 8 to 18.11.2010=₹275
6	Cash Deposited by NP-Sunni on 4.7.2008	–	410	(+410)	Direct deposit in HPSCoop A/c 5731 as per BRS & Audit report 4/8 to 3/11
7	Difference as per BRS of Audit report 4/8 to 3/11	–	–	(–)376	Amount short in Bank A/c
	Total Amount of short deposit			**(–)1061**	**परिशिष्ट ''ख–1''**

(ड.) रोकड़ वही के योग व बैंक समाधान विवरणी से सम्बन्धित अभिलेख के अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि निम्न विवरणानुसार नगर पंचायत बैंक में द्वारा ₹4414 के जमा की प्राप्ति का स्त्रोत व प्रकृति का विवरण न तो रोकड़ वही में ही वर्णित था और न ही नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण को

स्पष्ट किया गया, जिसकी अनुपस्थिति में वर्णित प्राप्तियों की अंकेक्षण में सत्यापना सम्भव नहीं हो सकी। अतः अब इन प्राप्तियों से सम्बन्धित पूर्ण विवरण/अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत करके इसका सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0 सं0	बैंक का नाम	दिनांक	राशि	रोकड़ वही में गणना की तिथि व पृ0 सं0
1	HPSCoop A/c 5732	24.9.10	3904	31.3.15/22(1)
2	HPSCoop A/c 5731	4.7.08	410	As per BRS 31.3.15/22(1)
3	HPSCoop A/c 5731	30.5.13	100	31.3.15/22(1)
		कुल जोड़	**₹4414**	

5 निवेश

(क) अंकेक्षण अवधि के अन्त में विभिन्न खातों में निवेशित/जमा राशि का विवरण **परिशिष्ट ''ख''** में दिया गया है, जिसके अवलोकन पर विदित होता है कि रोकड़ वही के अनुसार दिनांक 31.3.2015 को विभिन्न बैंकों में रखे गए बचत खातों में ₹31.00 लाख की बड़ी रकम शेष जमा थी। इस सम्बन्ध में परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में इतनी बड़ी राशि को बचत खाते में जमा रखने की अपेक्षा, पंचायत की वित्तीय आश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अल्प व दीर्घकालिक सावधि जमा में निवेशित करने की सम्भावना को तलाशा जाए, ताकि पंचायत की विकास गतिविधियों को प्रभावित किए बिना ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके।

(ख) बैंक द्वारा सावधिक जमा की परिपक्वता पर ₹0.32 लाख का ब्याज कम देना

निम्नलिखित प्रकरणों में बैंक द्वारा सावधिक जमा की परिपक्वता पर देय ब्याज राशि की अपेक्षा कम ब्याज दिया गया प्रतीत होता है, जिस सम्बन्ध में सम्बन्धित बैंक से मामला उठाकर छानबीन करके वस्तु स्थिति पता की जाए तथा कम दिए गए ब्याज की राशि को प्राप्त करके पंचायत निधि की भरपाई की जाए।

सावधिक जमा रजिस्टर पृ0 सं0	बैंक का नाम/सावधिक जमा खाता या रसीद सं0	निवेशित राशि	निवेश/परिपक्वता तिथि/अवधि	ब्याज की दर	ब्याज की राशि, जो प्राप्त हुई	ब्याज की राशि, जो प्राप्त होनी चाहिए थी	अन्तर ब्याज का, जो कम प्राप्त हुआ
7	HPSCoop-Sunni/ 44130101709	2000000	1.2.13/ 1.12.13=9M	7.50%	97548	114622	17074
7	HPSCoop-Sunni/ 44130101709	2000000	1.11.13/1.3.15 9.4.15=17M8D	9%	259007	273353	14346
50 (Pension)	HPSCoop-Sunni/ TDR/17960031	1151002	28.10.13/ 28.3.15=17M	9%	154162	154745	583
						कुल जोड़	**32003**

(ग) सावधिक जमा की परिपक्वता पर देय ब्याज की राशि को देरी से जमा करने के कारण ब्याज के रूप में आय ₹0.12 लाख की सम्भावित हानि

निम्नलिखित प्रकरणों में बैंक द्वारा सावधिक जमा की परिपक्वता पर देय ब्याज की राशि को देरी से प्रदान करने के कारण नगर पंचायत को कम से कम बचत खाते में औसतन 4% की दर से प्राप्त होने वाली ब्याज की सम्भावित आय की ₹12018 की हानि हुई है, जिसे बैंक द्वारा देय तिथि को जमा करने पर बचाया जा सकता था। अतः परामर्श दिया जाता है कि इस प्रकरण को सम्बन्धित बैंक के साथ उठाया जाए तथा वर्णित हानि की राशि को प्राप्त किया जाए और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य में सावधिक जमा की परिपक्वता पर प्राप्त ब्याज की राशि को समय पर पुनः सावधिक जमा में निवेश या बचत खाते में जमा करवाया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

सावधिक रजिस्टर पृ0 सं0	बैंक का नाम/सावधिक जमा खाता या रसीद सं0	परिपक्वता पर प्राप्त राशि	परिपक्वता तिथि	देरी से जमा ब्याज की राशि/ तिथि	ब्याज जमा प्रदान करने में देरी की अवधि	ब्याज आय की सम्भावित हानि @4%
7	HPSCoop-Sunni/ 44130101709	2000000	1.1.13	47308 Dt. 4.3.16	2Y4M3D	4432
7	HPSCoop-Sunni/ 44130101709	2000000	1.3.15/ 9.4.15	210062 Dt. 4.3.16	25900710 M25D	7586
					कुल जोड़	**12018**

6 अनुदान

सचिव नगर पंचायत द्वारा अवधि 4/2013 से 3/2015 के दौरान अनुदान की प्राप्तियों एवं व्यय से सम्बन्धित **परिशिष्ट "ग"** पर उपलब्ध करवाए गए विवरण का अंकेक्षण करने पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईः–

(क) अनुदान की ₹61.37 लाख व्यय/उपयोग हेतु शेष पाया जाना

नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण **परिशिष्ट "ग"** द्वारा उपलब्ध करवार्ठ गई अनुदानों की विवरणी के अवलोकन पर पाया गया कि दिनांक 31.3.2015 को ₹6137065 की अनुदान राशि व्यय/उपयोग हेतु शेष थी। अतः इन अनुपयोगी अनुदान राशियों को निर्धारित समय के अन्दर व्यय किया जाए अथवा इन्हें सक्षम प्राधिकारी से समय बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त कर उन्हीं उद्धेश्य हेतु खर्च किया जाना सुनिश्चित किया जाए, जिस उद्धेश्य हेतु इन्हें स्वीकृत किया गया था। इसके अतिरिक्त इनके व्यय से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र भी उचित समय के अन्दर जारी करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) अनुदान में से वेतन व मजदूरी पर ₹28.52 लाख का निर्धारित मापदण्डों से अधिक व्यय करना

नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण को **परिशिष्ट ''झ''** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना/अभिलेख के अवलोकन से विदित हुआ कि शीर्ष 4th SFC अन्तर्गत वित्तीय वर्ष में प्राप्त कुल अनुदान राशि का अधिक से अधिक भाग सम्पत्तियों के सृजन व रख–रखाव पर खर्च किया जाना अपेक्षित था, ताकि आय के स्त्रोतों में वृद्धि हो। इसके अतिरिक्त राशि को नगर पंचायत को वैधानिक व हस्तांतरित कार्यों के निर्वहन और चुने हुए प्रतिनिधियों के मानदेय भुगतान पर खर्च किया जाना था। अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि अनुदान में से स्थापना पर सीधे व्यय का कोई प्रावधान नहीं था, परन्तु निम्न वर्णित तथ्यों से स्पष्ट विदित होता है कि अनुदान के उक्त वर्णित प्रावधानों के प्रतिकूल स्थापना पर वित्तीय वर्ष 2013–14 व 2014–15 में 100% व 71.40% तथा अन्य वर्णित उद्धेश्य पर केवल 0% व 28.60% ही खर्च किया गया है, जोकि अनुदान उपयोग सम्बन्धी सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है। सचिव नगर पंचायत को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 104/2016 दिनांक 17.4.2016 द्वारा इस सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तिथि तक उनसे कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। अतः इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की विशेष स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में प्राप्त अनुदान को सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार ही खर्च किया जाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि अनुदान के उद्धेश्य की पूर्ति के साथ–साथ पंचायत की आय में भी वृद्धि हो।

वित्तीय वर्ष	शीर्ष 4th SFC के अन्तर्गत प्राप्त कुल अनुदान की राशि	प्राप्त अनुदान का उद्धेश्य	स्थापना पर व्यय किया गया	स्थापना पर अनुदान से किए गए व्यय की %age
2013–14	865419	Maintenance of assets	865419	100%
2014–15	2782680	Performance of statutory & delegated functions Honorarium to elected represetives	1986695	71.40%
योग	**₹3648099**		**₹2851114**	**78.16%**

(ग) अनुदान की राशि से निर्माण कार्य शुरू न करने के कारण अनुदान की ₹6.00 लाख का अवरोधन

MPLAD योजना के दिशा–निर्देशों व स्वीकृति आदेशों की शर्त संख्याः 4 के अनुसार “Scheme should be started after completion of all codal & technical formalities and work should be completed with in a period of one year from the date of sanction”, अर्थात निर्माण कार्य अनुदान की स्वीकृति की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर पूर्ण किए जाने अपेक्षित थे, किन्तु अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत अभिलेख व सूचनाओं के अवलोकन करने पर विदित हुआ कि

निम्नलिखित दो कार्य वित्तीय वर्ष 2011—12 व 2012—13 में स्वीकृत हुए थे तथा शर्तानुसार दिनांक 7.4.2012 व 9.7.2013 को पूर्ण किए जाने अपेक्षित थे।

क्र0 सं0	योजना का नाम	निर्माण कार्य का नाम	स्वीकृति पत्र सं0 व तिथि	स्वीकृत राशि	व्यय	शेष राशि
1	MPLAD	C/o one room for Pragti Yuvak Mandal in NP-Sunni	SML-PLG(MPLAD-RS)/2010-11, ₹2257-60 Dated 7.4.2011	100000	Nil	
2	MPLAD	C/o Community Centre at NP-Sunni	SML-PLG(MPLAD-RS)/2010-11, ₹2257-60 Dated 7.4.2011	500000	Nil	500000
			कुल जोड़	**600000**	**Nil**	**600000**

उक्त वर्णित विवरण से स्पष्ट विदित होता है कि निर्माण कार्य स्वीकृति तिथि के उपरान्त लगभग 3 से 4 वर्ष की अवधि बीत जाने के उपरान्त भी आरम्भ नहीं हो पाए तथा राशि अभी भी बिना उपयोग के बैंक बचत खाते में शेष पड़ी थी, जिसके कारण सम्बन्धित जनता को प्राप्त होने वाले लाभों से भी वंचित होना पड़ा। इस सम्बन्ध में सचिव, नगर पंचायत से अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 108/2016, दिनांक 21.3.2016 द्वारा कारणों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु पूछा गया था, किन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी प्रति उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः उक्त वर्णित अनियमितता का संज्ञान लेते हुए इन अनुपयोगी अनुदान राशियों को सक्षम प्राधिकारी से समय अवध की बढ़ौतरी प्राप्त करके उन्हीं उद्धेश्य हेतु खर्च किया जाना सुनिश्चित किया जाए, जिस उद्धेश्य हेतु इन्हें स्वीकृत किया गया था तथा भविष्य में प्राप्त अनुदान को सरकार द्वारा जारी दिशा—निर्देशों के अनुसार ही खर्च किया जाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि अनुदान के उद्धेश्य की पूर्ति हो तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(घ) सम्बन्धित संस्थाओं को अनुदान की ₹64.46 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित न करना

नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण को **परिशिष्ट "ग"** पर उपलब्ध करवाई गई अनुदानों की विवरणी के अवलोकन पर पाया गया कि अवधि 4/2013 से 3/2015 के दौरान अनुदान से व्यय की गई ₹6445594 के उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित संस्थाओं को प्रेषित ही नहीं किए है। सचिव नगर पंचायत को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 108/2016, दिनांक 21.3.2016 द्वारा इस सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था, परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक उनसे कोई भी प्रति उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः इस सम्बन्ध में वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए तथा वर्णित उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित संस्थाओं/कार्यालयों को अग्रेषित किए जाने सुनिश्चित किए जाएं और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाने के साथ—साथ जारी किए उपयोगिता प्रमाण पत्र की सत्यापना आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए।

(ड.) **अनुदान रजिस्टर का उचित अनुरक्षण व उदयतन न करना**

नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 4/2013 से 3/2015 के दौरान अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व उदयतन नहीं किया गया था अर्थात इसमें प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान में से किए गए व्यय का विस्तृत विवरण नहीं रखा गया था, जिसके अभाव में अनुदान से किए गए व्यय व तदानुसार जारी उपयोगिता प्रमाण पत्रों की अंकेक्षण में सत्यापना नहीं की जा सकी। सचिव नगर पंचायत को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 104/2016, दिनांक 17.4.2016 द्वारा इस सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था, परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक उनसे कोई भी प्रति उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। अतः इस सम्बन्ध में वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अदयतन करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7 रोकड़ वही को सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित न करना

हि0 प्र0 म्यूनिसिपल लेखा संहिता के अध्याय–III के पैरा 19(3) के अनुसार रोकड़ वही को अध्यक्ष, नगर पंचायत द्वारा प्रत्येक माह के अन्त में हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित है, किन्तु अंकेक्षण अवधि के दौरान ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, जोकि उक्त वर्णित प्रावधान के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है। इसके अतिरिक्त अवधि 4/2013 से 3/2015 तक रोकड़ वही के शेष को प्रत्येक माह के अन्त में बैंक खातों के शेष से मिलान भी नहीं किया गया था, जोकि गम्भीर अनियमितता है। सचिव नगर पंचायत को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 104/2016, दिनांक 17.4.2016 द्वारा इस सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था, परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक उनसे कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा रोकड़ वही को लेखा संहिता के प्रावधानानुसार सत्यापित करवाया जाना और प्रत्येक माह के अन्त में बैंक खाते के शेष से मिलान किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8 दोहरी लेखा पद्धति के आधार पर लेखों/वर्गीकृत खाता बहियों का रख–रखाव न करना

(क) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा दोहरी लेखा पद्धति के आधार पर लेखों/वर्गीकृत बहियों का रख–रखाव नहीं किया गया था, जबकि निदेशक, शहरी विकास विभाग हि0 प्र0 द्वारा दिनांक 1.4.2009 से दोहरी लेखा पद्धति के आधार पर लेखों का रख–रखाव करने के निर्देश दिए गए थे। वर्णित निर्देशों की अनुपालना न करने के कारण जहां निदेशक के आदेशों की उल्लंघना हुई है, वहीं किस मद से कितनी आय प्राप्त हुई और किस मद पर कितना खर्च हुआ तथा अनुमोदित बजट प्रावधान से राशि अधिक तो व्यय की गई तथा अनुदान से प्राप्त राशि का उसी

उद्धेश्य हेतु व प्राप्त अनुदान की राशि की सीमा तक ही व्यय किया गया है अथवा नहीं इत्यादि तथ्यों/सूचना की भी पुष्टि नहीं की जा सकी। सचिव नगर पंचायत को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 104/2016, दिनांक 17.4.2016 द्वारा इस सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था, परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक उनसे कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित अभिलेख को तैयार करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) उक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित रजिस्टर/अभिलेख का भी नगर पंचायत द्वारा रख–रखाव नहीं किया जा रहा था :–

(i) कांट्रेक्टर लैजर

(ii) अंशदाई पेंशन योजना की रोकड़ वहियां/खाता वहियां

(iii) प्रतिभूति जमा रजिस्टर

(iv) स्थापना चैक रजिस्टर (ECR)

(v) बिजली उपकर मांग व संग्रहण रजिस्टर

(vi) मदिरा शुल्क मांग व संग्रहण रजिस्टर

(vii) अग्रिम मांग व संग्रहण रजिस्टर

(viii) गाड़ी की मुरम्मत व रख–रखाव रजिस्टर

(ix) बिजली/पानी/टेलीफोन चैक रजिस्टर

(x) चयनित प्रतिनिधियों को मानदेय भुगतान चैक रजिस्टर

9 गृह कर की वसूली में सम्बन्धित अनियमितताएं

(क) प्रभावहीन अनुश्रवण के कारण गृह कर ₹45.30 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

नगर परिषद द्वारा **परिशिष्ट "घ"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार दिनांक 31.3.2015 तक गृहकर की ₹4530489 वसूली हेतु शेष थी।

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष	कुल मांग	कुल राशि	प्राप्ति	अन्तिम शेष	वर्ष में मांग की तुलना में प्राप्त राशि की
2013–14	3577424	928261	4505685	292729	4212956	31.54%
2014–15	4212956	959502	5172458	641969	4530489	66.91%
	कुल जोड़	**₹1887763**		**₹934698**		**49.51%Avg**

उक्त विवरण से स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है कि गृह कर की वसूली की गति बहुत ही धीमी है, क्योंकि अंकेक्षण अवधि के दौरान गृह कर की कुल वसूली वार्षिक मांग का केवल 50% औसत से भी कम रही, जिस कारण वसूली हेतु शेष राशि घटने की अपेक्षा वर्ष दर वर्ष बढ़ती जा रही है,

जोकि एक गम्भीर चिन्ता का विषय है। अतः उक्त वर्णित शेष राशि की वसूली हेतु तुरन्त विशेष पग उठाए जाने सुनिश्चित किए जाएं तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) नियमों के प्रतिकूल 100 वर्ममीटर क्षेत्रफल की छूट प्रदान कर गृहकर का निर्धारण/वसूली करने के कारण वित्तीय हानि

गृहकर निर्धारण/वसूली के चयनित प्रकरणों का सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा भवन मालिकों से 100 वर्गमीटर क्षेत्रफल की छूट प्रदान कर गृहकर का निर्धारण/वसूली की गई थी, जोकि अनियमित है, क्योंकि वर्णित छूट से सम्बन्धित नियमों की धारा 2(1) में प्रावधान को The HP Municipality (Amendment)Act, 2011 (Act 33ए02011), जोकि हि0 प्र0 सरकार के असाधारण राजपत्र दिनांक 2.8.2011 में प्रकाशित हुआ है, द्वारा समाप्त कर दिया गया है तथा जिस संशोधन को सभी कार्यकारी अधिकारी/सचिवों को यथानुसार लागू करने हेतु निदेशक, शहरी विकास विभाग के पत्र संख्याः ULB(A)(3)-9/86-III-17741–17788, दिनांक 1.9.2011 द्वारा परिचालित किया गया था तथा अधिसूचना संख्याः UD-A(3)5/2010, दिनांक 16.2.2012 के अनुसार इसे दिनांक 20.2.2012 से लागू किया जाना था तथा इस प्रकार दिनांक 20.2.2012 से सभी भवन मालिकों से क्षेत्रफल में कोई भी छुट प्रदान किए बिना गृहकर का निर्धारण करे वसूली की जानी अपेक्षित थी, परन्तु नगर पंचायत द्वारा ऐसा न करके जहां नियमों की अवहेलना हो रही है, वहीं नगर पंचायत को आय के रूप में लगातार वित्तीय हानि भी हो रही है। अतः नियमों के प्रतिकूल नगर पंचायत द्वारा भवन मालिकों से 100 वर्गमीटर क्षेत्रफल की छूट प्रदान करके गृहकर का निर्धारण/वसूली करने का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा नियमानुसार गृहकर का पुनर्निर्धारण करके गृहकर से सम्बन्धित अभिलेख का यथानुसार अध्यतन करते हुए देय गृहकर की बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ग) सरकार के निर्देशानुसार गृहकर की दरों में वृद्धि न करने के कारण ₹12.59 लाख की वित्तीय हानि

निदेशक, शहरी विकास विभाग के पत्र संख्याः UDHC(10)–7/98–II, दिनांक 17.11.2003 के अनुसार अवधि 2002–2003 में 7.5% की दर से गृहकर लगाकर इसमें प्रति वर्ष 1% की वृद्धि करके अवधि 2006–2007 तक गृहकर की दर को 12.5% किया जाना अपेक्षित था, किन्तु नगर पंचायत द्वारा नियमानुसार कोई वृद्धि नहीं की गई, जिसके परिणामस्वरूप पंचायत को निम्न विवरणानुसार ₹1258509 की गृहकर की हानि हुई। इस सम्बन्ध में पूर्व अंकेक्षण अवधि 4/2011 से 3/2013 तक के पैरा 8(2) द्वारा भी परामर्श दिया गया था, किन्तु उसके बावजूद भी सरकार के निर्देशानुसार कार्रवाही अमल में न लाना गम्भीर अनियमितता है। सचिव नगर पंचायत को अंकेक्षण

अधियाचना संख्याः 104/2016, दिनांक 17.4.2016 द्वारा इस सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था, परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक उनसे कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। अतः पुनः परामर्श दिया जाता है कि सरकार के निर्देशानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

वित्तीय वर्ष	7.5% की दर से गृहकर की मांग की राशि	12.5% की दर से गृहकर की अपेक्षित मांग की राशि	अन्तर
2013—14	928261	1547102	618841
2014—15	959502	1599170	639668
कुल जोड़	**1887763**	**3146272**	**1258509**

(घ) अवधि 1.4.2013 से 31.3.2015 तक निर्मित भवनों का गृहकर निर्धारण न करना

नगर पंचायत द्वारा **परिशिष्ट 'ड."** के अनुसार उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार अवधि 1.4. 2013 से 31.3.2015 तक के दौरान निम्न विवरणानुसार निर्मित भवनों के लिए बिजली तथा पानी के कनेक्शन आवंटन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए गए थे, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि उन भवनों का गृहकर का निर्धारण/पुनः निर्धारण नहीं किया गया था। अतः वर्णित अनियमितता का संज्ञान लेते हुए इन प्रकरणों में अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

अवधि	पानी के कनेक्शन हेतु जारी अनापत्ति प्रमाण पत्रों की संख्या	बिजली के कनेक्शन हेतु जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की संख्या
2013—14	12	48
2014—15	13	58

10 दुकानों/कार्यालयों के किराये की वसूली में सम्बन्धित अनियमितताएं

(क) दुकानों के देय किराये की ₹3.02 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

अंकेक्षण को **परिशिष्ट—'च"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार दिनांक 31.3.2015 को दुकानों के देय किराये की ₹301899 वसूली हेतु शेष थी, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष	कुल मांग	कुल राशि	प्राप्ति	अन्तिम शेष	वर्ष में मांग की तुलना में प्राप्त राशि की प्रतिशतता
2013—14	211084	369537	580621	290892	289729	78.72%
2014—15	289729	504000	793729	491830	301899	97.59%
	कुल जोड़	**₹873537**		**₹782722**		**89.60%Avg**

उक्त प्रस्तुत विवरण से स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है कि शेष किराये की वसूली हेतु गति बहुत ही धीमी थी, क्योंकि अंकेक्षण अवधि के दौरान किराया की कुल वसूली वार्षिक मांग का केवल 90% औसत से भी कम रही, जिस कारण वसूली हेतु शेष राशि घटने की अपेक्षा वर्ष दर वर्ष बढ़ती

ही जा रही है, जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः वर्णित शेष राशि की वसूली हेतु तुरन्त विशेष पग उठाया जाने सुनिश्चित किए जाएं तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) दुकानों के किरायेदारों से अनुबन्ध का कार्यन्वयन तथा देय किराये की दर को संशोधित न करने के कारण किराये की आय में ₹56262 की सम्भावित हानि

हि0 प्र0 प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः LSG-F(b)1/85-iv, दिनांक 21.12.2001 के पैरा संख्याः 5 में वर्णित प्रावधानानुसार "Munucipalities shall lease out the shops/stalls constructed by it for a period not exceeding 25 years in the first instance & after every 5 years, the lease rent be enhanced by 10% of the amount being charged at the time of signing of lease"। किन्तु दुकानों के किराये से सम्बन्धित चयनित प्रकरणों का सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि ज्यादातर प्रकरणों में किरायेदार से दुकानें किराये पर आवंटित करने से पूर्व न तो कोई अनुबन्ध कार्यान्वित किया गए थे और न ही देय किए की राशि को प्रत्येक पांच वर्ष निर्धारित अवधि उपरान्त बढ़ाया ही गया था। इसके अतिरिक्त किरायेदारों द्वारा नियमित रूप से प्रतिमाह देय किराया जमा करवाने की अपेक्षा विलम्ब से एक मुश्त राशि के रूप में अपनी सुविधानुसार जमा करवाया गया था तथा विलम्ब से किराया जमा करवाने पर दण्ड शुल्क का भी कोई प्रावधान नहीं किया गया था, जिसके आभाव में किरायदारों पर देय किराया नियमित रूप से प्रति माह जमा करवाने का कोई दवाब या भय नहीं रहता। इन अनियमितताओं के कारण जहां देय किराये की राशि को प्रत्येक पांच वर्ष की नियमानुसार निर्धारित अवधि उपरान्त न बढ़ाने के कारण नगर पंचायत को **परिशिष्ट 'छ"** में वर्णित चयनित प्रकरणों में ही ₹56262 के किराये की आय की सम्भावित हानि हुई है, वहीं देय किराया समायानुसार जमा न करवाने के कारण किराये की वसूली हेतु बकाया राशि से भी लगातार बढ़ती ही गई, जिससे पंचायत की वित्तीय स्थिति व विकास गतिविधियां भी कुप्रभावित हुई है। सचिव नगर पंचायत को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 104/2016, 17.4.2016 द्वारा इस सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था, परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक उनसे कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। अतः इस सम्बन्ध में परामर्श दिया जाता है कि किरायेदार के साथ वर्णित अनुबन्ध कार्यन्वित करने के साथ–साथ देय किराये की राशि को निर्धारित अवधि उपरान्त बढ़ाया जाने के साथ–साथ विलम्ब से जमा करवाने पर दण्ड शुल्क का प्रावधान भी किया जाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि किरायेदारों पर देय किराया नियमित रूप से प्रति माह समय पर जमा करवाने का दवाब या भय बना रहे तथा पंचायत की वित्तीय स्थिति व विकास गतिविधियां भी प्रभावित न हो और कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ग) किराये से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध करवाए गए अभिलेख के अवलोकन से विदित हुआ कि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देय किराये की राशि में से स्त्रोत पर निम्न विवरणानुसार आयकर की कटौती की गई थी, जिसका वापिस जमा प्रदान नहीं किया गया था, जबकि अंकेक्षणाधीन अवधि व वर्तमान में निम्न प्रकरणों को छोड़कर बैंक द्वारा किराये से स्त्रोत पर आयकर की कोई कटौती नहीं की गई थी, क्योंकि आयकर अधिनियम 1961, की धारा (26)10 के अन्तर्गत स्थानीय निकायों की आय आयकर से मुक्त होती है। इस प्रकार नगर पंचायत को ₹14932 की की हानि हुई। सचिव नगर पंचायत को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 104/2016, दिनांक 17.4.2016 द्वारा इस सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था, परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी प्रति उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः परामर्श दिया जाता है कि इस प्रकरण को सम्बन्धित बैंक के साथ उठाया जाए तथा वर्णित हानि की राशि को प्राप्त करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

माह	देय किराये की राशि	स्त्रोत पर काटे गए आयकर की राशि	शुद्ध किराया जमा की राशि	बैंक द्वारा जमा प्रदान की तिथि A/c No. 33371887506
July. 13	28065 (29D)	2807	25258	11.10.2013
Aug. 13	29950	3000	26950	11.10.2013
Sep. 13	29950	3000	26950	11.10.2013
Oct. 13	29950	3130	26820	8.11.2013
Nov. 13	29950	2995	26955	7.1.2014
	कुल जोड़	**₹14932**		

11 बिजली उपकर तथा शराब उपकर की देय राशि की जांच हेतु सम्बन्धित आवश्यक विवरण प्रस्तुत न करना

(क) हि0 प्र0 सरकार की अधिसूचना संख्याः LSG(B)(1)–9/94, दिनांक 8.11.1999 एवं हि0 प्र0 म्यूनिसिपल अधिनियम की धारा 69 के अनुसार नगर पंचायत की सीमा के भीतर किसी भी व्यक्ति द्वारा उपयोग की गई बिजली पर एक पैसा प्रति यूनिट की दर से बिजली विभाग द्वारा बिजली उपकर वसूल करके सम्बन्धित नगर पंचायत को भुगतान किया जाना प्रावधित है। इस प्रावधान के अनुसार अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के अवलोकन पर पाय गया कि नगर पंचायत को अंकेक्षण अवधि 1.4.2013 से 31.3.2015 के दौरान कुल ₹120814 का बिजली उपकर बिजली बोर्ड से उनके पत्र संख्या : EDNCE –46/14–1010, दिनांक 3.6.2014 व चैक संख्याः 465278, दिनांक 28.5.2014 द्वारा प्राप्त हुआ था, परन्तु वर्षवार खपत की गई बिजली से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख/आंकड़े अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किए गए तथा प्राप्त राशि किस अवधि से सम्बन्धित थी, इस बारे कोई विवरण भी स्पष्ट नहीं किया गया, जिसके अभाव में प्राप्त आय की सत्यापना नहीं की जा सकी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए सम्बन्धित विभाग से शेष देय

राशि, यदि कोई हो तो, की वसूली करके एवं सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख/आंकड़े एकत्रित करके आगामी अंकेक्षण पर आवश्यक पड़ताल हेतु उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार अंकेक्षण अवधि 4/2013 से 3/2015 तक आबकारी एवं कराधान विभाग से नगर पंचायत परिक्षेत्र में बेची गई शराब की बोतलों पर एक रूपया प्रति बोतल की दर से नगर पंचायत को ₹152377 की आय प्राप्त हुई थी, किन्तु प्राप्त राशि किस अवधि की थी तथा नगर पंचायत परिक्षेत्र में वर्षवार विक्रय की गई मदिरा की बोतलों की संख्या कितनी थी इत्यादि में सम्बन्धित अभिलेख/सूचना अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई, जिसके अभाव में प्राप्त उपरोक्त आय की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सम्बन्धित विभाग से इसकी वसूली एवं सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख/आंकड़े एकत्रित करके आगामी अंकेक्षण पर आवश्यक पड़ताल हेतु उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0 सं0	पत्र सं0 व तिथि	चैक सं0 व तिथि	प्राप्त राशि	सम्बन्धित अवधि
1	Not available in panchayat record	RTGS dt 6.5.13	12480	Not mentioned
2	Not available in panchayat record	RTGS dt 6.5.13	20406	Not mentioned
3	Not available in panchayat record	RTGS dt 9.10.14	87256	Not mentioned
4	Not available in panchayat record	RTGS dt 9.10.14	32235	Not mentioned
		कुल जोड़	**₹152377**	

c इसके अतिरिक्त अंकेक्षण में यह भी पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में कुछ अवधि का बिजली उपकर व शराब उपकर सम्बन्धित विभागों से प्राप्त नहीं किया गया था। साथ ही सम्बन्धित अभिलेखों के अवलोकन पर पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा मांग व प्राप्तियों के सम्बन्धित अभिलेख का संरक्षण भी नहीं किया गया था, जिसके अभाव में इन प्राप्तियों पर निगरानी नहीं रखी जा सकती, जैसे कि निर्धारित दर से कुल कितनी राशि देय थी, कितनी प्राप्त की गई व कितनी बकाया थी। अपेक्षित अभिलेख के संरक्षण न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं भविष्य में उचित अभिलेख का संरक्षण करना सुनिश्चित किया जाए व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12 मोबाइल टॉवर शुल्क की ₹1.39 लाख वसूली हेतु शेष पाया जाना

परिशिष्ट "ज" द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार दिनांक 31.3.2015 तक मोबाइल टॉवर शुल्क की ₹138750 वसूली हेतु शेष थी तथा अभी तक स्थापना शुल्क सहित कोई भी राशि वसूल नहीं की गई थी। इस सम्बन्ध में पूर्व अंकेक्षण अवधि 4/2011 से 3/2013 के पैरा 10 के अन्तर्गत भी परामर्श दिया गया था, किन्तु उसके बावजूद भी सरकार के निर्देशानुसार कार्रवाई अमल में न लाई गई जोकि अनियमिता है। अतः इस राशि की वसूली हेतु तुरन्त विशेष पग उठाए जाने सुनिश्चित किए जाएं तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 स्थापना पर निर्धारित प्रावधानों से ₹2.08 लाख का अधिक व्यय करना

Municipality Act,1994 की धारा 53(1) एवं इस सन्दर्भ में सरकार द्वारा दिनांक 26.6.2001 को जारी किए गए दिशा–निर्देशों के अनुसार नगरपालिकाओं के लिए उनके स्थापना व्यय को नियन्त्रण में रखने हेतु प्रावधान किए गए हैं, जिसके अनुसार नगरपालिकाओं की स्थापना पर व्यय उनके कुल खर्च के एक तिहाई भाग (1/3) से अधिक नहीं होना चाहिए। अंकेक्षण अवधि के दौरान सचिव द्वारा **परिशिष्ट 'झ"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अवलोकन पर पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा स्थापना पर व्यय निर्धारित सीमा से कही अधिक किया गया था, जिसका विवरण निम्न है।

वित्तीय वर्ष	कुल व्यय	निर्धारित सीमा 1/3 अनुसार व्यय जो स्थापना पर किया जाना चाहिए	स्थापना पर किया गया वास्तविक व्यय	स्थापना पर निर्धारित सीमा से अधिक किया गया व्यय (%)
2013–14	5815277	1938426	1867338	–
2014–15	6068221	2022740	2230936	208196 (10.29%)

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट विदित होता है कि वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान नगर पंचायत ने वर्णित नियमों व दिशा–निर्देशों के प्रतिकूल स्थापना पर ₹208196 पर किया गया है। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस अनियमित व्यय को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

14 खाली पदो के लिए पेंशन/ग्रेच्युटी अंशदान की ₹2.29 लाख को नगर पंचायत निधि से पेंशन व उपदान निधि में जमा करना

वाउचर संख्याः 280 of 2/2014=33827 व वाउचर संख्याः 162 of 10/2014=39603

H.P. Municipality Employees (Pension, Gratuity & GPF) Rules, 2000 के नियम 3(3) में वर्णित प्रावधानानुसार नगरपालिका द्वारा हर माह कर्मचारियों के वेतनमान के अधिकतम स्तर का 12% पेंशन तथा 5% ग्रेच्युटी का अभिदान पेंशन एवं उपदान निधि में जमा करवाया जाना अपेक्षित

है। निदेशक, शहरी विकास विभाग के पत्र संख्याः UD-II(130/10)7/2000, दिनांक 20.12.2003 द्वारा जारी अनुदेशानुसार नगरपालिका द्वारा उक्त वर्णित अंशदान कुल स्वीकृत पदों, चाहे भरे हो या खाली हो, का जमा करवया गया था, जिसमें 11 खाली पदों का अंशदान भी शामिल था, चूंकि नगर पंचायत द्वारा भविष्य में खाली पदों के विरूद्ध नियुक्त किए जाने वाले कर्मचारी समान्यता अंशदाई पेंशन योजना (CPS) के अन्तर्गत ही cover होंगे व जिनका अंशदान वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों की भांति अंशदाई पेंशन योजना (CPS) निधि में अलग से जमा करवाया जाएगा तथा इन कर्मचारियों को पेंशन एवं उपदान का लाभ भी नियमानुसार देय नहीं होगा। इसके अतिरिक्त पेंशन निधि की औचित्यतता से भी स्पष्ट हो जाता है कि वर्तमान में कार्यरत सभी कर्मचारी अंशदाई पेंशन योजना (CPS) के अन्तर्गत ही cover है तथा उन्हें पेंशन निधि से कोई भी लाभ देय नहीं है। इसलिए नियमों की सही भावना के दृष्टिगत खाली पदों 12% पेंशन तथा 5% ग्रेच्युटी का अभिदान पेंशन एवं उपदान निधि में जमा करवाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इस कारण निम्न विवरणानुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत निधि से पेंशन एवं उपदान निधि में ₹228984 का अधिक भुगतान किया गया। सचिव नगर पंचायत को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 104/2016, दिनांक 17.4.2016 द्वारा इस सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था, परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक उनसे कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः यह मामला उच्च प्राधिकारियों के ध्यान में नियमानुसार उचित समाधान करने हेतु लाया जाता है।

क्र0 सं0	पदनाम	पदों की सं0	वेतनमान	अवधि	12%/5% की दर से अधिक जमा की गई पेंशन/ग्रेच्युटी अभिदान की राशि (पे बैंड का अधिकतम x12%/5%)			अभिदान की कुल अधिक जमा राशि (Col.2xCol. 8x24M)
1	Secretary	1	6400–10640	4/13 to 3/15=24M	1277	532	1809	43416
2	Peon	1	2520–41410 (WIS2620)	4/13 to 3/15=24M	497	207	704	16896
3	Chowkidar	1	2520–41410 (WIS2620)	4/13 to 3/15=24M	497	207	704	16896
4	Clerk	2	3120–5160	4/13 to 3/15=24M	619	258	877	42096
5	Comm. Org.	1	3120–5160	=24M	619	258	877	21048
6	Sanitary inspercor	1	3120–5160	4/13 to 3/15=24M	619	258	877	21048
7	Safai K"chari	4	2520–41410 (WIS2620)	4/13 to 3/15=24M	497	207	704	67584
							कुल जोड़	₹228984

15 वेतन व भत्तों की ₹393 का अनियमित भुगतान

श्री कर्म चन्द, सफाई कर्मचारी जोकि दिनांक 1.10.2013 को पे–बैंड 4900–10680 में 5710+1650 ग्रेड पे=7360 मूल वेतन आहरण कर रहे थे तथा उनकी अगली वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि दिनांक 1.10.2014 थी (सेवा पुस्तिका पृष्ठ संख्याः 12 व 13), जिसे यथा तिथि को प्रदान करने पर उनका वेतन 5930+1650 ग्रेड पे=7580 के स्तर पर निर्धारित करने की अपेक्षा गलती से 5940+1650 ग्रेड पे=7590 के स्तर पर निर्धारित किया गया। इसी प्रकार अगली वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि दिनांक 1.10.2015 को भी उनका वेतन 6160+1650 ग्रेड पे=7810 के स्तर पर निर्धारित करने की अपेक्षा 6170+1650 ग्रेड पे=7820 के स्तर पर निर्धारित किया गया था। अतः उक्त वर्णित अनियमितता के कारण उन्हें निम्न विवरणानुसार 28.2.2016 तक ₹393 का वेतन व भत्तों का अधिक भुगतान किया जा चुका था। अतः उनका वेतनमान में नियमानुसार संशोधन किया जाए और अधिक भुगतान की राशि की सम्बन्धित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

अवधि	आहरित वेतन (प्रति माह)	देय वेतन (प्रति माह)	अन्तर	महंगाई भत्ता	अधिक भुगतान की राशि
1.1.14 to 31.12.14=3M	5940+1650GP =7590	5930+1650GP =7590	10	11(107%)	63
1.1.15 to 30.9.15=9M	5940+1650GP =7590	5930+1650GP =7580	10	11(113%)	189
1.10.15 to 29.2.16=5M	6170+1650GP =7820	6160+1650GP =7810	10	11(113%)	105
		जोड़			**357**
		CPS 10% अंशदान (नियोक्ता का हिस्सा)			**36**
		कुल जोड़			**393**

16 ठेकेदारों के निर्माण कार्यों के बिलों से काटे गए श्रमकर व रौयलिटी ₹0.85 लाख को सम्बन्धित विभाग में जमा न करना

चयनित माह व विस्तृत लेखा परीक्षण हेतु चयनित निर्माण कार्यों के बिलों का उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा ठेकेदारों के निर्माण कार्यों बिलों से काटे गए श्रमकर व रौयलिटि की राशि को सम्बन्धित विभाग में जमा नहीं करवाया गया था, जोकि गम्भीर अनियमितता है। विस्तृत लेखा परीक्षण पर अंकेक्षण अवधि के दौरान यह ₹85381 अर्थात ₹52781 श्रमकर व ₹32600 रौयलिटि बनती थी, जोकि सम्बन्धित विभाग में जमा नहीं करवाई गई थी तथा जिसे नगर पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–'ञ"** तक प्रस्तुत विवरणानुसार सत्यापित भी किया गया है। सचिव नगर पंचायत को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 104/2016, दिनांक 17.4.2016 द्वारा इस सम्बन्धित में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था,

परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक उनसे कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। अतः उक्त वर्णित अनियमितता का संज्ञान लेते हुए इस राशि को तुरन्त सम्बन्धित विभागों में जमा करवाया जाए तथा भविष्य में कटौती की गई राशि को समयानुसार जमा करवाया जाना भी सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसी भी दण्ड शुल्क की अदायगी से बचा जा सके और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

17 ठेकेदारों के निर्माण कार्यों के बिलों से देय बिक्री कर की ₹0.07 लाख कम कटौती करने बारे

चयनित माह व विस्तृत लेखा परीक्षण हेतु चयनित निर्माण कार्यों के बिलों का उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा ठेकेदारों के निर्माण कार्यों बिलों से विभागीय तौर पर आपूर्ति की गई निर्माण सामग्री की वसूली करने के उपरान्त निष्पादित कार्य हेतु देय कुल भुगतान से 3% की दर से देय बिक्री कर की कटौती की गई थी, जबकि नियमानुसार वर्णित कर की गणना/कटौती ठेकेदार को देय संकल राशि पर की जानी अपेक्षित थी। अतः इस अनियमितता के कारण ठेकेदारों से निम्न विवरणानुसार ₹6981 की देय बिक्री कर की कम कटौती की गई, जिससे सरकारी खजाने को हानि हुई, जिसका नियमानुसार या तो औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा उचित स्त्रोत से वर्णित हानि की राशि की वसूली सुनिश्चित करते हुए सरकारी खजाने की भरपाई की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

Sr. No.	Name of contractor/work	M.B. No. & Pages	Gross amount of work done	Sales tax deducted @3%	Sales tax to be deducted	Sales tax less deducted
1	Sh. Vipin Sharma Re-construction of drain room N.P. Toilet towards house of Sh. Joginder Gupta & Police Chowki in ward No. 6,7&1 at Sunni (Phase-II)	MB No. 14 P-13 to 16	217995	2960	6540	3580
2	Sh. Chunni Lal Re-const. of drain room N.P. Toilet towards Police Chowki Ward No. 6,7& 8 at Sunni	MB No. 14 P-39 to 41	236126	3683	7084	3401
			Total	**₹6643**	**₹13924**	**₹6981**

18 ठेकेदारों को आपूर्ति की गई विभागीय निर्माण सामग्री की क्रय मूल्य से कम निर्गम दर पर वसूली करने के कारण ₹0.23 लाख की वित्तीय हानि

चयनित माह व विस्तृत लेखा परीक्षण हेतु चयनित निर्माण कार्यों के बिलों का उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि ठेकेदारों को आपूर्ति की गई विभागीय निर्माण सामग्री की क्रय मूल्य से कम निर्गम दर पर वसूली की गई थी, जिसके

कारण निम्न विवरणानुसार पंचायत को ₹23542 की वित्तीय हानि हुई है। सचिव नगर पंचायत को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 104/2016, दिनांक 17.4.2016 द्वारा इस सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था, परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक उनसे कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः इस अनियमितता का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा वर्णित हानि की राशि की पूर्ण छानबीन के उपरान्त इसकी उचित स्त्रोत से वसूली करते हुए पंचायत निधि की भरपाई करने के अतिरिक्त भविष्य में विभागीय भण्डार से ठेकेदारों को जारी निर्माण सामग्री की नियमानुसार उचित दर निर्धारित करके उनसे वसूली किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए, ताकि इस प्रकार की वित्तीय हानि को रोका जा सके तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(i) RCC Pipes का क्रय मूल्य

विवरण	क्रय की गई **Rcc Pipes** का विवरण/मूल्य (₹ प्रति **Pipes** /मी0 में)		
	600 mm Dia (Length 1.25mtr.)	**400 mm Dia (Length 1.25mtr.)**	**250 mm Dia (Length 2.00 mtr.)**
Basic Rate	1365.00	975.00	640
VAT @ 5%	68.25	48.75	32
Unloading	40.00	25.00	15
कुल जोड़	**₹1473.25 or 1178.60 per Rmt.**	**₹1048.75 or 839.00 per Rmt.**	**₹687 or 343.50 per Rmt.**

(ii) हानि की राशि

स्टॉक रजिस्टर 5 पृ0 सं0	ठेकेदार को जारी पाइप की सं0		वसूली दर(प्रति मी0 में)	क्रय मूल्य (प्रति मी0 में)	दर में अन्तर (प्रति मी0 में)	हानि की राशि	माप पुस्तिका सं0 व पृ0
	pipes का **Dia**	पाइप की सं0					
34	400mm	114 No. or 142.50 Rmt	780.00	839.00	59.00	8407.50	No. 14 & P-41
34	400mm	120 No. or 150 Rmt	795.00	839.00	43.40	6510.00	No. 14 & P-15
35	250mm	117.50 No. or 235 Rmt	330.00	343.50	13.50	3172.50	No. 12, 13, 14& P-86, 70, 52
35	250mm	73 No. or 146 Rmt	337.00	343.50	6.50	949.00	No. 14 & P-39, 43
35	250mm	125 No. or 250 Rmt	326.40	343.50	17.10	4275.00	No. 14 & P-8, 11
35	250mm	16.50 No. or 33 Rmt	336.60	343.50	6.90	227.70	No. 13 & P-37
		कुल जोड़				₹23541.70	

19 निर्माण कार्य विलम्ब से पूर्ण करने पर आवंटन पत्र की शर्तानुसार ठेकेदारों से ₹0.21 लाख दण्ड शुल्क (penalty) की वसूली न करना

ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय अवधि में निम्न वर्णित निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करने पर न तो कार्य आवंटन पत्र की शर्त के अनुसार दण्ड शुल्क (penalty) की वसूली ही की गई थी और न ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार कार्य पूर्ण करने हेतु समय अवधि की बढ़ौतरी ही प्रदान की गई थी। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा न केवल निम्नानुसार ₹20938 के देय दण्ड शुल्क की वसूली करके नगर पंचायत के खाते में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए, अपितु अंकेक्षण अवधि में इस अनियमितता से सम्बन्धित समस्त ऐसे प्रकरणों में भी यथोचित कार्रवाई करके तथा अपेक्षित राशि की वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

निर्माण कार्य पूर्ण करने के लिए निश्चित की गई अवधि	निर्माण कार्य आरम्भ/पूर्ण करने की तिथि	निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु लिया गया समय	निर्माण कार्य आवंटन पत्र की शर्त संख्याः 4 के अनुसार विलम्ब दण्ड शुल्क की दर	विलम्ब दण्ड शुल्क की वसूली योग्य राशि
ठेकेदार का नाम : Sh. Vipin Sharma **कार्य का नाम :** Re-const. of drain from N.P. Toilet towards H/o Sh. Joginder Gupta Ward No. 6,7&8 at Sunni. **अनुबन्ध संख्याः** N.P./works/7-231, **दिनांक** 23.4.2013=₹47985, Estimated cost : ₹209384 **चलत बिल संख्याः** 1st & Final bill **माप पुस्तिका संख्याः** 14 पृ0 13 से 16 तक				
Three months	7.5.2013 (deemed after 15 days)/17.1.2014 (date of record entry MB No. 14, P-13)	More than 8M12D	1: 1% per day of delay subject of max. 10% of estimated cost	20938 (max.)

20 सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति को दर किनार (नजरअंदाज) करने हेतु निर्माण कार्यों को तीन लाख व पांच लाख से कम भागों में बांटने के कारण ठेकेदार को ₹4.49 लाख का अनियमित भुगतान करना

Himachal Pradesh Municipal Works Rules, 2010 के नियम 3(1) के प्रावधानानुसार नगरपालिका को केवल पांच लाख तक के निर्माण कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने का प्राधिकार है तथा नियम 4(2) के प्रावधानानुसार कनिष्ठ अभियन्ता को केवल तीन लाख व सहायक अभियन्ता को दस लाख तक के निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने का प्राधिकार है, किन्तु निम्न वर्णित निर्माण कार्यों को तीन लाख व पांच लाख से कम भागों में बांटकर सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति को नजरअंदाज किया गया था तथा अपने स्तर पर ही कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा तकनीकी स्वीकृतियां प्रदान की गई थी, जोकि वर्णित नियमों की उल्लंघना के कारण

अनियमित है, जिसका या तो औचित्य स्पष्ट किया जाए या इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र0 सं0	आवंटन पत्र सं0 व दिनांक	माप पुस्तिका सं0 व पृ0	RD सं0	कुल भुगतान की राशि	कटौती की राशि	शुद्ध भुगतान की राशि
ठेकेदार का नाम : Addition & Alteration NP Guest House at Suni						
कार्य का नाम : Sh. Dinesh Kumar						
(क) वाउचर संख्याः 199&198, दिनांक 28.10.2014=₹118348&₹3099						
1	NP/works/ 7–231, दिनांक nil, ₹358118	12 71 to 74	Ground Floor	338853	220505	118348
2	NP/works/7–370–71, दिनांक 16.7.2013= ₹112341	12 & 13 82 to 83 & 53 to 55	First Floor	110638	107539	3099
			कुल जोड़	**₹449491**		

21 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹1.85 लाख की निर्माण कार्य सामग्री का क्रय करना

वाउचर संख्याः 296–99, दिनांक 7.2.2014 द्वारा सीमित निविदाओं के आधार पर न्यूनतम निविदाकर्त्ता M/s Pinku Welder- सुन्नी से ₹78141 की विभिन्न निर्माण कार्य हेतु बिल संख्याः 112, 114 व 115, दिनांक 29.1.2014 द्वारा स्टील सामग्री जैसे Angle Jali इत्यादि का क्रय करने हेतु भुगतान किया गया। अंकेक्षण को प्रस्तुत की गई सूचना व अभिलेख से विदित हुआ कि एक वित्तीय वर्ष के लिए वर्णित निर्माण कार्य सामग्री की आपूर्ति करने हेतु सीमित निविदाएं आमन्त्रित की गई थी तथा न्यूनतम निविदाकर्त्ताओं से वित्तीय वर्ष में ₹185427 से अधिक की निर्माण कार्य सामग्री का क्रय किया गया था, चूकि क्रय की गई सामान की राशि एक लाख से अधिक व आपूर्ति की अवधि 1 वर्ष थी, इसलिए नियमानुसार खुली निविदाएं अखबार के माध्यम से मंगवाई जानी चाहिए थी, ताकि वास्तविक पूर्ण प्रतियोगात्मक दरों का लाभ प्राप्त किया जा सकता। अतः नियमानुसार विहित क्रय प्रक्रिया की उल्लंघना करके जो अनियमित व्यय ₹185427 किया गया है उसे अब उच्च सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाने जाने के साथ–साथ भविष्य में क्रय की उचित विहित प्रक्रिया को अपनाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

22 मिश्रित अनियमितताओं के कारण ₹258 के अधिक भुगतान की वसूलियां

चयनित माह के व्यय एवं भुगतान वाउचरों का सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाई गई निम्नलिखित अनियमितताओं के कारण ₹258 का अधिक भुगतान हुआ था, जिसकी

वसूली अब सम्बन्धित उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवया जाए।

(क) वाउचर संख्याः 176–78, दिनांक 14.10.2014=₹159530

विभागीय निर्माण कार्य C/o Tharas near Stage at Suni हेतु मस्ट्रोल संख्याः 238(वाउचर संख्याः 176) के अन्तर्गत 293 कार्य दिवसों का ₹170 प्रतिदिन की दर से ₹49910 का भुगतान किया गया था, जबकि गणना की त्रुटी के कारण भुगतान योग्य केवल ₹49810 ही बनती थी। अतः इस प्रकार ₹100 का अधिक भुगतान हुआ है, जिसकी उचित स्त्रोत से वसूली करते हुए पंचायत निधि की भरपाई की जाए और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य मं इस तरह चूक न होने के लिए संस्था की आन्तरिक जांच को सुदृढ़ किया जाए।

(ख) वाउचर संख्याः 322, दिनांक 28.2.2014, =₹3994

श्री हिमेश शर्मा, लिपिक (ग्रेड पे ₹3200 मुख्यालय सुन्नी) को निम्न विवरणानुसार की गई विभिन्न सरकारी यात्राओं हेतु ₹158 का यात्रा भत्ता देय राशि से अधिक भुगतान किया गया था, जिसकी सम्बन्धित से वसूली सुनिश्चित करते हुए पंचायत निधि की भरपाई की जाए और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

यात्रा तिथि	यात्रा का स्थान व समय		भुगतान किया गया दैनिक भत्ता	देय दैनिक भत्ता	अधिक भुगतान की राशि
	कहां से	कहां तक			
24.6.13	Suni 7.00 A.M Shimla 6.00 P.M	Shimla 9.45 A.M Suni 8.30 P.M	1 D@160 =160	70%@160=112 30%@72=21.60 Total=133.60	26.40
21.8.13	Suni 8.00 A.M Shimla 6.00 P.M	Shimla 10.30 A.M Suni 8.30 PM	1 D@160 =160	70%@160=112 30%@72=21.60 Total=133.60	26.40
27.8.13	Suni 7.00 A.M Shimla 4.45 P.M	Shimla 10.00 A.M Suni 7.30 P.M	1 D@160 =160	70%@160=112 30%@72=21.60 Total=133.60	26.40
27.9.13	Suni 7.00 A.M Shimla 6.00 P.M	Shimla 9.30 A.M Suni 8.30 P.M	1 D@160 =160 1 D@160 =160	70%@160=112 30%@72=21.60 Total=133.60	26.40
28.12.13	Suni 7.00 A.M Shimla 6.00 P.M	Shimla 10.00 A.M Suni 8.30 P.M	1 D@160 =160 1 D @160 =160	70%@160=112 30%@72=21.60 Total=133.60	26.40

31.12.13	Suni 7.00 A.M Shimla 4.45 P.M	Shimla 9.30 A.M Suni 7.30 P.M	1 D@160 =160 1 D@160=160	70%@160=112 30%@72=21.60 Total=133.60	26.40
		कुल जोड़	₹960	₹801.60	**₹158.40**

23 पेंशन व ग्रेच्युटी फण्ड

अंकेक्षण अवधि से सम्बन्धित पेंशन व ग्रेच्युटी फण्ड की वित्तीय स्थिति परिशिष्ट –'ट" निम्न प्रकार से है।

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष	अभिदान/अंशदान से प्राप्त राशि		ब्याज से प्राप्त राशि	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
		पेंशन व ग्रेच्युटी	अंशदाई पेंशन योजना				
2013–14	2543174	114492	145619	268519	3071804	0	3071804
2014–15	3071804	114492	172257	200968	3559521	0	3559521
	दिनांक 31.3.2015 को वित्तीय स्थिति के अनुसार शेष						**₹3559521**
	दिनांक 31.3.2015 को बैंक खाते के अनुसार शेष						**₹3559521**
	शेष में अन्तर						**शून्य**

दिनांक 31.3.2015 को बैंक खाते के शेष का विवरण

Name of bank	Type of A/c	A/c Receipt No.	Amount	FDR Register Page No.
HPSCoop Bank Sunni	Saving	44110106279	93331	
-do-	FDR	TDR/17960031	1305164	50
-do-	FDR	TDR/17960021	781026	50
-do-	FDR	TDR/1796007	1380000	50
		कुल जोड़	**₹3559521**	

(क) अंशदायी पेंशन योजना निधि, पेंशन तथा ग्रेच्युटी निधि के लेखों का रख–रखाव नियमानुसार न करना

हि0 प्र0 सरकार की अधिसूचना संख्याः LSG-B(1)–1/79–III, दिनांक 25.4.2000 द्वारा "Himachal Pradesh Municipalities Employees (Pension, Gratutiy & General Provident Fund) Rules 2000" अधिसूचित किए गए हैं। इन नियमों के नियम 3 में प्रावधान किया गया है कि नगरपालिका के कर्मचारियों को पेंशन लाभों की अदायगी के उद्धेश्य हेतु निदेशक द्वारा पेंशन तथा ग्रेच्युटी निधि की स्थापना करने के साथ–साथ इसका रख–रखाव भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इस नियम के उप नियम (3) में यह प्रावधान भी किया गया है कि नगरपालिकाएं कर्मचारियों के समय वेतनमान के अधिकतम पर क्रमशः 12% तथा 5% की दर से पेंशन व ग्रेच्युटी का माहवार अभिदान उक्त पेंशन व ग्रेच्युटी निधि में जमा करवाएगी। उक्त नियमों के नियम 9 में आगे यह भी प्रावधान किया गया कि सामान्य भविष्य निधि स्थापना तथा लेखों का रख–रखाव भी निदेशक द्वारा ही किया जाएगा, उक्त वर्णित निधियों के लेखों का रख–रखाव निदेशक द्वारा नगर पंचायत को सौंपा गया, जोकि नियमों की सरासर उल्लंघना है।

(ख) पेंशन व ग्रेच्युटी, अंशदायी पेंशन योजना निधियों के लेखों का रख–रखाव न करना

नियमानुसार पेंशन व ग्रेच्युटी, अंशदायी पेंशन योजना निधियों का अलग–अलग बैंक बचत खाता/रोकड़ वही खाता का रख–रखाव किया जाना अपेक्षित है, किन्तु इसके प्रतिकूल नगर पंचायत द्वारा वर्णित निधियों के लेखों का रख–रखाव नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त पेंशन व ग्रेच्युटी निधि का अलग बैंक बचत खाते का रख–रखाव तो किया गया था, किन्तु अंशदायी पेंशन योजना निधि का अलग बैंक बचत खाते का रख–रखाव करने की अपेक्षा बैंक में सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के व्यक्तिगत बचत खाते खोल रखे थे, जिसमें अंशदायी पेंशन योजना का कर्मचारी का अभिदान जमा किया जा रहा था, जबकि अंशदायी पेंशन योजना का नियोक्ता हिस्सा पेंशन तथा ग्रेच्युटी निधि के बैंक खाते में जमा किया गया था, जोकि नियमों की सरासर उल्लंघना है तथा अनियमित है, जिसका समाधान अब अंशदायी पेंशन योजना निधि का अलग बैंक बचत खाता खोल कर तथा कर्मचारियों के व्यक्तिगत बचत खाते को बन्द करके उसमें जमा पड़ी राशि को अंशदायी पेंशन योजना निधि के वर्णित बैंक बचत खाते में हस्तांतरित करके और कर्मचारियों के अंशदायी पेंशन योजना के व्यक्तिगत खातों के लेखों का पंचायत स्तर पर उचित रख–रखाव करके किया जाए।

(ग) अंशदायी पेंशन योजना को नियोक्ता हिस्से की ₹3.18 लाख को अनियमित रूप से पेंशन तथा ग्रेच्युटी निधि के बैंक खाते में जमा करना

परिशिष्ट –'ट" द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना व सम्बन्धित अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान का अंशदायी पेंशन योजना का नियोक्ता हिस्सा ₹317876 को पेंशन तथा ग्रेच्युटी निधि के बैंक खाते में जमा किया गया था, जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है, जिसका समाधान अब अंशदायी पेंशन योजना निधि का अलग बैंक बचत खोलकर उसमें उक्त वर्णित राशि को अंकेक्षण अवधि से पूर्व की ऐसी राशि सहित, जिसकी गणना अपने स्तर पर की जाए, हस्तांतरित करके किया जाए तथा भविष्य में अंशदान की राशि सम्बन्धित बैंक बचत खाते में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(घ) पेंशन निधि की औचित्यता बारे

परिशिष्ट –'ट" द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अवलोकन पर पाया गया कि नगर पंचायत के पेंशन व ग्रेच्युटी निधि में दिनांक को ₹35.60 लाख जमा की थी, किन्तु पंचायत का वर्तमान में कोई पेंशनर नहीं था तथा सभी कार्यरत कर्मचारी अंशदायी पेंशन योजना (CPS) के अन्तर्गत cover है, जिन्हें पेंशन व ग्रेच्युटी निधि से पेंशन व ग्रेच्युटी का लाभ देय नहीं है और भविष्य में खाली पदों के विरूद्ध नियुक्त किए जाने वाले कर्मचारी समान्यता अंशदायई पेंशन योजना (CPS) के अन्तर्गत ही cover होंगे व जिनका अंशदान वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों की भांति अंशदाई

पेंशन योजना (CPS) निधि में अलग से जमा करवाया जाएगा तथा इन कर्मचारियों की पेंशन एवं उपदान का लाभ भी नियमानुसार देय नहीं होगा। ऐसे में नगर पंचायत में पेंशन निधि की औचित्यता स्पष्ट न होने के कारण निधि में जमा राशि भी फलदायी प्रतीत नहीं होती। अतः या तो पेंशन निधि की व्यवहारिक तौर पर पूर्ण औचित्यता स्पष्ट की जाए अन्यथा परामर्श दिया जाता है कि इस प्रकरण को सचिव/निदेशक, स्थानीय शहरी निकाय से उठाया जाए, ताकि पेंशन निधि में अनुपयोग पड़ी राशि अनावश्यक रूप से अवरूद्ध रहने की अपेक्षा इसका पंचायत की विकासात्मक गतिविधियों में फलदायी उपयोग सम्भव हो सके।

(ड.) परिशिष्ट –'ट" द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2015 को कर्मचारियों के अंशदायी पेंशन योजना के खातों में ₹637154 जमा थे तथा यह राशि सावधिक जमा में निवेश की अपेक्षा नगर पंचायत द्वारा कर्मचारियों के बैंक में खोले गए बचत खातों में जमा रखी जा रही थी, जिस जमा पर बैंक द्वारा बचत खाते का ब्याज, जोकि केवल 4ः है, दिया गया था। इस प्रकार बचत राशि को सावधिक जमा में निवेश न करके कर्मचारियों को ब्याज के रूप में भी धन की लगातार हानि हो रही थी और नियमानुसार निवेशों का संचालन नहीं किया जा रहा था, जोकि गम्भीर अनियमितता है, जिसका समाधान अब उक्त उप अंकेक्षण पैरा (ग) द्वारा सुझाई गई कार्रवाई उपरान्त राशि को सावधि जमा में निवेश करके किया जाए। सचिव नगर पंचायत को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 104/2016, दिनांक 17.4.2016 द्वारा इस सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था, परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक उनसे कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। अतः यह सारा प्रकरण निदेशक, स्थानीय शहरी निकाय के ध्यान में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई अमल में लाने हेतु लाया जाता है।

24 बिना तत्काल आवश्यकता के ₹0.46 लाख की भण्डार वस्तुओं को क्रय करने के कारण पंचायत निधि से अनियमित भुगतान करना

हि0 प्र0 वित्तीय नियमावली खण्ड–1 के नियम 15.19 में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि भण्डार में वस्तुओं के हस्तगत शेष युक्तिसंगत समयावधि की आवश्यकताओं से अधिक या निर्धारित मात्रा की सीमा से अधिक नहीं रखे जाने चाहिए। इस नियम की अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु एक जिम्मेदार सरकारी अधिकारी नियतकालिक निरीक्षण करेगा तथा भण्डार में पाई गई आवश्यकता से अधिक, अनुपयोगी व निष्क्रिय वस्तुओं की सूचना सक्षम प्राधिकारी को इन वस्तुओं के निस्तारण आदेश जारी करने हेतु प्रस्तुत करेगा, परन्तु भण्डार लेखों का सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान विदित हुआ कि निम्न विवरणानुसार भण्डार रजिस्टर में लगभग ₹0.46 लाख की क्रय की गई वस्तुएं लगभग छह से नौ वर्ष से भी अधिक समय से अनुपयोग पड़ी थी, जिनका अंकेक्षण अवधि तक उपयोग नहीं दर्शाया गया था। इसके अतिरिक्त नियमानुसार प्रति वर्ष भण्डार में शेष

वस्तुओं का भौतिक सत्यापन भी नहीं किया गया था। ऐसी परिस्थितियों में संशय उत्पन्न होता है कि भण्डार में शेष अनुसार वस्तुएं वास्तविता में भौतिक रूप से मौजूद है भी कि नहीं तथा ऐसे में इन वस्तुओं के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः इस सम्बन्ध में पूर्ण छानबीन करके वस्तु स्थिति का पता लगाकर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाए तथा इन वस्तुओं का उचित उपयोग करने के साथ–साथ भविष्य में भण्डार वस्तुओं का क्रय उक्त वर्णित नियमानुसार सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र0 सं0	तिथि जब से वस्तुएं भण्डार में अनुपयुक्त पड़ी है	वस्तु का नाम	भण्डार में शेष पड़ी वस्तुओं की मात्रा	वस्तुओं की दर	वस्तुओं का कुल मूल्य	सम्बन्धित भण्डार रजिस्टर पृ0 सं0
(A) Stock register consumable Vol.5						
1	3.1.2007	CL pipe 150mm	2 Rmt.	475 per Rmt.	950	17
2	3.1.2007	Mainhole cover	2 No.	3700 each	7400	18
3	6.11.2009	Bitumen Drum	6 No.	6334-50 each	38007	20
				कुल जोड़	**₹46357**	

25 भण्डार में ₹96410 लाख के क्रय मूल्य की अनुपयोगी/बेकार पड़ी वस्तुओं को dispose off (नीलामी) न करना

नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अवलोकन से विदित हुआ कि भण्डार में परिशिष्ट –'ठ" में दिए गए विवरणानुसार ₹96410 मूल्य की वस्तुएं पिछले लगभग 3–6 वर्षों से अनुपायोगी/बेकार पड़ी हुई थी तथा इन वस्तुओं की नियमानुसार डिसपोजल (नीलामी) हेतु नगर पंचायत द्वारा कोई पग नहीं उठाए गए थे। अतः परामर्श दिया जाता है कि हि0 प्र0 वित्तीय नियमावली खण्ड–1 के 15.3 में वर्णित प्रावधान व विहित प्रक्रिया अपनाकर इन वस्तुओं का निपटारा किया जाना सुनिश्चित किया जाए और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

26 भण्डार लेखों में 2 सीमेंट बैग शेष में कम पाए जाने बारे

सीमेंट के भण्डार लेखों का उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि दिनांक 16.12.2013 को भण्डार खाते में सीमेंट का आरम्भिक शेष 338 बैग था (सीमेंट स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ–26) तथा इंडेंट संख्याः 90, दिनांक 16.12.2013 द्वारा मदन लाल, ठेकेदार को निर्माण कार्य हेतु 33 सीमेंट बैग की आपूर्ति करने के उपरान्त सीमेंट का अन्त शेष 305 बैग रहना चाहिए था, जबकि इसे 303 बैग लिया गया जोकि 2 बैग कम था। अतः इस प्रकार भण्डार लेखों में कम पाए 2 सीमेंट बैग, जिनका मूल्य आपूर्ति दर ₹242 अनुसार ₹484 था। अतः उक्त कम

पाए गए सीमेंट के बैंग का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा सम्बन्धित पक्ष में वर्णित राशि की वसूली करके नगर पंचायत निधि की भरपाई की जाए और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

27 स्टोर/स्टॉक नियमित भौतिक सत्यापन (Physical Verification) न करना

हि0 प्र0 नगरपालिका लेखा संहिता के अध्याय 12 के पैरा 12.43 (सी) में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में प्रभारी स्टोर, लेखा विभाग और कार्यकारी अधिकारी/सचिव नगरपालिका/नगर पचांयत या अधिकृत कर्मचारी स्टोर में पड़ी वस्तुओं का भौतिक सत्यापन करेंगे तथा इसका मिलान स्टॉक रजिस्टर के अभिलेख के अनुसार शेष से करेंगे और कोई अन्तर पाए जाने की स्थिति में निदेशक द्वारा निर्धारित यथोचित सुधारात्मक कदम उठाएंगे। अंकेक्षण के दौरान सम्बन्धित अभिलेख के अवलोकन से विदित हुआ कि नगर पंचायत द्वारा ऐसी कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई थी, जोकि वर्णित प्रावधानों की सरासर उल्लंघना के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता का संज्ञान लेते हुए स्टोर/स्टॉक का नियमित भौतिक सत्यापन प्रति वर्ष करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि स्टोर/स्टॉक की किसी भी मद के दुर्विनियोजन की सम्भावना से बचा जा सके तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

28 गाड़ी की लॉग बुक में पाई गई अनियमितताएं

गाड़ी (टिप्पर) संख्याः HP–51B–0961 की लॉग बुक का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा प्रत्येक माह के अन्त में गाड़ी के ईंधन की खपत की औसत की गणना नहीं की गई थी। पंचायत द्वारा गाड़ी की औसत प्रति किलोमीटर तय करने सम्बन्धी प्रस्तुत सूचना के अवलोकन से विदित हुआ कि उक्त गाड़ी की औसत ईंधन खपत 4 किलोमीटर प्रति लीटर तय कर रखी है तथा इसको आधार मानकर भी अंकेक्षण में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार ₹6682 के ईंधन की अधिक खपत की गई थी, जिसका पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा वर्णित राशि की सम्बन्धित से वसूली करने की अतिरिक्त भविष्य में प्रत्येक माह के अन्त में गाड़ी की तय औसत प्रति किलोमीटर निकालकर सक्षम अधिकारी से सत्यापित करवाया जाना भी सुनिश्चित की जाए।

मीटररीडिंग/दिनांक		अवधि 6.4.13 से 31.3.15 तक तय कुल कि0मी0	अवधि 6.4.13 से 31.3.15 तक के दौरान कुल डीजल खपत (लि0 में)	4 कि0 मी0 प्रति लीटर की तय दर से जो डीजल खपत होनी चाहिए थी (लि0 में)	अधिक डीजल खपत (लि0 में)	दर (प्रति लि0) 31.3.15 को	अधिक डीजल खपत की राशि
प्रारम्भिक	अन्तिम						
7490/ 6.4.13	11816/ 31.3.15	4326	1213.97	1081.50	132.47	50.44	6682

उपरोक्त के अतिरिक्त लॉग बुक में की गई यात्राओं की प्रविष्टियों को किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया जा रहा था, जिसे सक्षम अधिकारी से सत्यापित करवाना सुनिश्चित किया जाए।

29 **लघु आपति विवरणिकाः–** सभी लघु आपत्तियों का स्थल पर ही निपटारा कर दिया गया था। अतः यह विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई थी।

30 **निष्कर्ष :–** लेखों में सुधार तथा सम्बन्धित अभिलेख को समय–समय पर अध्यतन (Updation) एवं पूर्ण करने व गत अंकेक्षण पैरों पर इोस तथा तुरन्त कार्रवाई करने की नितान्त आवश्यकता है, ताकि परिषद निधि का नियमानुसार सही उपयोग सुनिश्चित हो सके।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)(15)v(91)/81 खण्ड–IV–4866–4867 दिनांकः 07.09.2016, शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है

पंजीकृत 1 सचिव, नगर पंचायत सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उत्तर, प्रतिवेदन जारी हाने के एक माह के भीतर इस विभाग को प्रेषित करें।

2 निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश शिमला–171002 को पैरा संख्याः 1 (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए उचित निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009

परिशिष्ट ''क''

अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 1 (ग) में सन्दर्भित

(क) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 6/1984 से 3/1990

क्र0 सं0	पैरा सं0	स्थिति
1	पैरा 4(ख) से (ग)	अनिर्णीत
2	पैरा 5 (1 व 2)	अनिर्णीत
3	पैरा 6	अनिर्णीत
4	पैरा 8	अनिर्णीत
5	पैरा 8(क से ग तथा घ)	अनिर्णीत
6	पैरा 9(1)(क से ग)	अनिर्णीत
7	पैरा 9(2)(क से च)	अनिर्णीत
8	पैरा 9(2)(ज)	अनिर्णीत
9	पैरा 9(3)(ख,ग,घ,ङ,च,छ तथा ज)	अनिर्णीत
10	पैरा 9(4)(क व ख)	अनिर्णीत
11	पैरा 9(5) (क,ख,ग,घ,ङ,च,छ तथा ज)	अनिर्णीत
12	पैरा 10(1)	अनिर्णीत
13	पैरा 10(2)(क,ख,ग)	अनिर्णीत
14	पैरा 10(2)(घ)	आंशिक निर्णीत
15	पैरा 12	अनिर्णीत
16	पैरा 13(क व ख)	अनिर्णीत
17	पैरा 15	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1990 से 3/1995

क्र0 सं0	पैरा सं0	स्थिति
1	पैरा 3(ग)	अनिर्णीत
2	पैरा 5(क,ख,ग,घ,ङ,च तथा छ)	अनिर्णीत
3	पैरा 6	अनिर्णीत
4	पैरा 7	अनिर्णीत
5	पैरा 8(ख)	अनिर्णीत
6	पैरा 9(क तथा ख)	अनिर्णीत
7	पैरा 10(क तथा ख)	अनिर्णीत
8	पैरा 11	अनिर्णीत
9	पैरा 12(क,ख तथा ग)	अनिर्णीत
10	पैरा 13(i)	अनिर्णीत
11	पैरा 13(ii)(1,2,3 तथा 4)	अनिर्णीत
12	पैरा 13(iii)	अनिर्णीत
13	पैरा 13(iv, v, vi, ix, xi तथा xii)	अनिर्णीत
14	पैरा 14(i)(क व ख)	अनिर्णीत
15	पैरा 14(i)(ग व घ)	अनिर्णीत
16	पैरा 14(ii)(क,ख,ग तथा घ)	अनिर्णीत
17	पैरा 16	अनिर्णीत
18	पैरा 17	अनिर्णीत
19	पैरा 18(ख,ग,घ,च तथा छ)	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1995 से 3/2000

क्र0 सं0	पैरा सं0	स्थिति
1	पैरा 3(ख)	अनिर्णीत
2	पैरा 3(ग)	अनिर्णीत
3	पैरा 5(क)(1,2,3,4,5)	अनिर्णीत
4	पैरा 5(क,ख,ग,घ,ङ,च,छ,ज तथा झ)	अनिर्णीत
5	पैरा 5(ट,ठ,ड,ढ़)	अनिर्णीत
6	पैरा 6(ख)	अनिर्णीत
7	पैरा 6(ग)	अनिर्णीत
8	पैरा 7(1)(ए)(क तथा ख)	अनिर्णीत
9	पैरा 7(2)(क,ख,ग,घ,ङ)	अनिर्णीत
10	पैरा 7(3)	अनिर्णीत
11	पैरा 7(4)	अनिर्णीत
12	पैरा 7(5)(1)(ii)	अनिर्णीत
13	पैरा 8(1)(1)(ii, iii, iv)	अनिर्णीत
14	पैरा 8(1)(vi, vii तथा viii)	अनिर्णीत
15	पैरा 8(2)(1)(ii, iii, iv)	अनिर्णीत
16	पैरा 8(2)(v, vi, vii, viii व ix)	अनिर्णीत
17	पैरा 8(3)(1,2,3)	अनिर्णीत
18	पैरा 8(3)(5, 6 तथा 7)	अनिर्णीत
19	पैरा 8(4)(1, 3, 4 तथा 5)	अनिर्णीत
20	पैरा 8(5)(I, ii, iii, iv, vi, vii, viii, ix)	अनिर्णीत
21	पैरा 8(6)(I, ii, iv, v तथा vi)	अनिर्णीत
22	पैरा 8(7)(i, ii, iv तथा v)	अनिर्णीत
23	पैरा 8(8)(1,2,3 तथा 5)	अनिर्णीत
24	पैरा 8(9)(i, iii, iv तथा v)	अनिर्णीत
25	पैरा 8(10)(i, iii, iv तथा v)	अनिर्णीत
26	पैरा 8(11)(i, ii, iii, iv तथा vi)	अनिर्णीत
27	पैरा 8(12)(i, ii, iv तथा v)	अनिर्णीत
28	पैरा 8(13)(i, ii, iii तथा iv)	अनिर्णीत
29	पैरा 8(14)(i, ii, iii, v, vi तथा vii)	अनिर्णीत
30	पैरा 8(15)(i, ii, iv तथा v)	अनिर्णीत
31	पैरा 8(16)(i से xv)	अनिर्णीत
32	पैरा 8(17)(i, से vii)	अनिर्णीत
33	पैरा 8(18)(i, से vi)	अनिर्णीत
34	पैरा 8(19)(i, से vi)	अनिर्णीत
35	पैरा 8(20)(i, से ix)	अनिर्णीत
36	पैरा 8(21)(i, से x)	अनिर्णीत
37	पैरा 8(22)(i, से x)	अनिर्णीत
38	पैरा 8(23)(i, से v)	अनिर्णीत
39	पैरा 8(24)(i, से iv)	अनिर्णीत
40	पैरा 8(24)(i,से v)	अनिर्णीत
41	पैरा 8(25)	अनिर्णीत
42	पैरा 9(क,ख)	अनिर्णीत
43	पैरा 10(क)(1)	आंशिक निर्णीत

44	पैरा 10(ग)(ii)	अनिर्णीत
45	पैरा 11(क,ख,ग,घ,ङ)	अनिर्णीत
46	पैरा 12(क)	अनिर्णीत
47	पैरा 13(क,ख)	अनिर्णीत
48	पैरा 14(क,ख)	अनिर्णीत
49	पैरा 15	अनिर्णीत
50	पैरा 16(क,ख,ग)(i,ii, iii, iv)	अनिर्णीत
51	पैरा 17(1,2,3,4)	अनिर्णीत
52	पैरा 18(i, iv, v)	अनिर्णीत
53	पैरा 19	अनिर्णीत
54	पैरा 20	अनिर्णीत
55	पैरा 21	अनिर्णीत
56	पैरा 22	अनिर्णीत
57	पैरा 23(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)	अनिर्णीत
58	पैरा 23(12,13,14,15,16,17,18)	अनिर्णीत
59	पैरा 23(20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32)	अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2000 से 3/2005

क्र0 सं0	पैरा सं0	स्थिति
1	पैरा 5(च)	अनिर्णीत
2	पैरा 6(1)	अनिर्णीत
3	पैरा 6(3,4,5)	अनिर्णीत
4	पैरा 6(7)	अनिर्णीत
5	पैरा 7(1,2,3,4)	अनिर्णीत
6	पैरा 10	अनिर्णीत
7	पैरा 11	अनिर्णीत
8	पैरा 12(2,3,4)	अनिर्णीत
9	पैरा 14(ङ) (1 से 6)	अनिर्णीत
10	पैरा 15	अनिर्णीत
11	पैरा 16	अनिर्णीत
12	पैरा 17	अनिर्णीत
13	पैरा 18(1 व 2)	अनिर्णीत
14	पैरा 19(3 तथा 4)	अनिर्णीत
15	पैरा 20(2)(क,ख,ग,घ)	अनिर्णीत
16	पैरा 20(3)(क,ख,ग,घ)	अनिर्णीत
17	पैरा 20(4)(क,ख)	अनिर्णीत
16	पैरा 21(1 व 2)	अनिर्णीत
17	पैरा 22(1,2,3)	अनिर्णीत
18	पैरा 23	अनिर्णीत
19	पैरा 24	अनिर्णीत
20	पैरा 25(क)(1)	अनिर्णीत
21	पैरा 25(ख)(1 से 6)	अनिर्णीत
22	पैरा 25(ग)(1,2)	अनिर्णीत
23	पैरा 25(घ)(1 से 5)	अनिर्णीत
24	पैरा 26(1)(क से च)	अनिर्णीत

25	पैरा 26(1)(छ)(1,2,3)	अनिर्णीत

(ङ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवदेन अवधि 4/2005 से 3/2008

क्र0 सं0	पैरा सं0	स्थिति
1	पैरा 2(ब)	अनिर्णीत
2	पैरा 2(5)	अनिर्णीत
3	पैरा 4(क)(2)	अनिर्णीत
4	पैरा 4(ख)(1)	अनिर्णीत
5	पैरा 4(च)	अनिर्णीत
6	पैरा 4(छ)	अनिर्णीत
7	पैरा 4(ज)(1,2)	अनिर्णीत
8	पैरा 4(ज)(4)	अनिर्णीत
9	पैरा 4(ण)(1)	अनिर्णीत
10	पैरा 4(ण)(2,3)	अनिर्णीत
11	पैरा 5(ग)	अनिर्णीत
12	पैरा 5(ङ)	अनिर्णीत
13	पैरा 5(च)	अनिर्णीत
14	पैरा 6(क)	अनिर्णीत
15	पैरा 6(घ)	अनिर्णीत
16	पैरा 6(ङ)	अनिर्णीत
17	पैरा 6(च)	अनिर्णीत
18	पैरा 7(ग)	अनिर्णीत
19	पैरा 7(घ)	अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवदेन अवधि 4/2008 से 3/2011

क्र0 सं0	पैरा सं0	स्थिति
1	पैरा 5.2	अनिर्णीत
2	पैरा 7.1	अनिर्णीत
3	पैरा 7.3	अनिर्णीत
4	पैरा 8	अनिर्णीत
5	पैरा 11	अनिर्णीत
6	पैरा 12	अनिर्णीत
7	पैरा 15	अनिर्णीत
8	पैरा 15 (1)	अनिर्णीत
9	पैरा 15 (2)	अनिर्णीत
10	पैरा 15 (3)	अनिर्णीत
11	पैरा 16	अनिर्णीत
12	पैरा 16 (1)	अनिर्णीत
13	पैरा 16 (2)	अनिर्णीत
14	पैरा 17	अनिर्णीत
15	पैरा 18	अनिर्णीत

(छ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2013

क्र0 सं0	पैरा सं0	स्थिति	टिप्पणी
1	पैरा–3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क प्राप्त होने पर निर्णीत)
2	पैरा–4	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम वित्तीय स्थिति के प्रारूपण करने पर निर्णीत/समाप्त)
3	पैरा–5	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम वित्तीय स्थिति के प्रारूपण करने पर निर्णीत/समाप्त)
4	पैरा–5(2)	निर्णीत	(प्रस्तुत प्रत्युतर अनुसार तथ्यों का सत्यापन करने पर निर्णीत)
5	पैरा–6(1)	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम वित्तीय स्थिति के प्रारूपण करने पर निर्णीत/समाप्त)
6	पैरा–7(क) व (ख)	अनिर्णीत	
7	पैरा–8	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम वित्तीय स्थिति के प्रारूपण करने पर निर्णीत/समाप्त)
8	पैरा–8(2)	अनिर्णीत	
9	पैरा–8(3)	अनिर्णीत	
10	पैरा–9(1)	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम वित्तीय स्थिति के प्रारूपण करने पर निर्णीत/समाप्त)
11	पैरा–9(2)	अनिर्णीत	
12	पैरा–10	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम वित्तीय स्थिति के प्रारूपण करने पर निर्णीत/समाप्त)
13	पैरा–11	अनिर्णीत	
14	पैरा–12(1)	अनिर्णीत	
15	पैरा–12(2)	अनिर्णीत	
16	पैरा–12(3)	निर्णीत	(अंकेक्षण अनुसार कृत कार्रवाई की सत्यापना करने पर निर्णीत)
17	पैरा–12(3)(2)	अनिर्णीत	
18	पैरा–12(3)(3)	अनिर्णीत	
19	पैरा–12(4)	निर्णीत	(अंकेक्षण के सुझावानुसार कृत कार्रवाई की सत्यापना करने पर निर्णीत)
20	पैरा–12(5)	अनिर्णीत	
21	पैरा–12(7)	अनिर्णीत	
22	पैरा–12(8)	निर्णीत	(अंकेक्षण के सुझावानुसार कृत कार्रवाई की सत्यापना करने पर निर्णीत)